भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 485

दिनांक 22/07/2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस 2.0) का उन्नत किया गया पोर्टल

485. श्री अरुण गोविलः
श्री आशीष दुबेः
श्री आलोक शर्माः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्री भोजराज नागः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल का उन्नत संस्करण एनवाईपीएस 2.0 शुरू किया है और यदि हाँ, तो इस उन्नयन के क्या कारण हैं और यह पिछले संस्करण की तुलना में क्या विशिष्ट नई सुविधाएँ प्रदान करता है;

(ख) क्या एनवाईपीएस 2.0 अब मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, गैर-पंजीकृत संस्थानों, अनौपचारिक समूहों और व्यक्तिगत नागरिकों को भी भागीदारी की अनुमति देता है और यदि हाँ, तो पोर्टल की शुरुआत से लेकर शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त जबलपुर के किसी असंगठित संस्थान सहित संचयी रूप से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पोर्टल के शुरू होने के बाद से इस पर दर्ज किए गए संस्थागत समूह और व्यक्तिगत पंजीकरणों की कुल संख्या का कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वर्ष 2026-27 के दौरान संस्थानों, समूहों और व्यक्तियों को पोर्टल से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग)। मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल के एक उन्नत संस्करण, एनवाईपीएस 2.0 की शुरूआत की है। पूर्व संस्करण के विपरीत, जो केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों तक ही सीमित था, एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरूआत के पश्चात से पोर्टल पर संस्थागत, समूहगत और व्यक्तिगत अभिलिखित पंजीकरणों का ब्यौरा इस प्रकार है (पोर्टल पर निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार आंकड़े नहीं रखें जाते हैं):-

क्रम सं	अवधि (एनवाईपीएस 2.0 की शुरूआत से 09-07-2026 तक)	संस्थागत पंजीकरण	समूहगत पंजीकरण	व्यक्तिगत पंजीकरण
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र	27	0	40
2.	आंध्र प्रदेश	58	10	867
3.	अरूणाचल प्रदेश	12	2	45
4.	असम	52	4	427
5.	बिहार	103	65	2113
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	17	2	209
7.	छत्तीसगढ़	144	12	381
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र	43	1	38
9.	दिल्ली	179	41	3173
10	गोवा	13	8	518
11	गुजरात	70	13	1193
12	हरियाणा	157	24	1365
13	हिमाचल प्रदेश	758	24	1005
14	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	480	24	3383
15	झारखंड	60	8	832

16	कर्नाटक	98	29	1008
17	केरल	56	7	304
18	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	4	0	15
19	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	2	0	1
20	मध्य प्रदेश	618	88	13362
21	महाराष्ट्र	205	53	2904
22	मणिपुर	10	1	22
23	मेघालय	13	5	372
24	मिजोरम	10	0	18
25	नागालैंड	19	0	211
26	ओडिशा	30	8	706
27	पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र	5	0	22
28	पंजाब	110	23	782
29	राजस्थान	208	38	2358
30	सिक्किम	4	2	30
31	तमिलनाडु	100	18	1769
32	तेलंगाना	49	29	859
33	त्रिपुरा	11	2	67
34	उत्तर प्रदेश	324	129	5346
35	उत्तराखंड	516	32	454
36	पश्चिम बंगाल	91	19	1307

(घ**)** नहीं।
